



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19102021-230522
CG-DL-E-19102021-230522

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3978]
No. 3978]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 18, 2021/आश्विन 26, 1943
NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 18, 2021/ASVINA 26, 1943

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर, 2021

का.आ. 4327(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 22 सितम्बर, 2021 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना सं. का.आ. 3910(अ) तारीख 21 सितम्बर, 2021 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना के हिंदी रुपांतर में दी गई अनुसूची की, सारणी में, स्तम्भ (6) के शीर्षक में, क्षेत्रफल की इकाई “वर्ग मी. में “ के स्थान पर “ हेक्टेयर में “ पढ़ा जाए।

[फा. सं. 2021/एलएमएल-II/12/2/ईसी/2214],

ए.के. सिन्हा, कार्यकारी निदेशक (भू. एवं सु. और स्टे.वि.)

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 22 सितम्बर, 2021 सं. का. आ. 3910(अ) तारीख 21 सितम्बर, 2021 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF RAILWAYS**(Railway Board)****CORRIGENDUM**

New Delhi, the 13th October, 2021

S.O. 4327(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in Ministry of Railway, (Railway Board) published in the Gazette of India, on dated the 22nd September, 2021, Extraordinary Part II, section 3, sub-section (ii) vide number S.O. 3910(E), dated the 21st September, 2021, namely :-

In Schedule of the Hindi version of said notification, in the Table, in heading of Column (6), the unit of Area may be read as “Hectare” in place of “Square meter”.

[F. No. 2021/LML-II/12/2/EC/2214]

A.K. SINHA, Executive Director (L&A and SD)

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extra-ordinary part II, section 3, sub-section (ii) dated the 22nd September, 2021 vide number S.O. 3910 (E), dated the 21st September, 2021.